

अनुबंध-II

NRI/FNIO/OCI को GST से छूट के लिए नॉन-रेसिडेंट स्टेटस जारी रखने की घोषणा)

(कैश सेक्शन में जमा करना है)

पॉलिसीधारक का नाम :-			
स्थिति (NRI/ FNIO/ OCI)		निवास का देश	
पॉलिसी नंबर			
बैंक अकाउंट डिटेल्स (जिससे प्रीमियम का पेमेंट किया जाएगा)			
बैंक का नाम			
NRE अकाउंट नंबर		IFSC	

मैं, \_\_\_\_\_, घोषणा करता/करती हूँ कि आज की तिथि \_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ तक, मेरे पास NRI//NFIO/OCI का दर्जा है और मैं  
\_\_\_\_\_ का निवासी हूँ(जिस देश में मैं रहता हूँ)। मैं रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट पर  
GST छूट लेना चाहता हूँ, और अगर कोई बदलाव होता है, तो मैं भारतीय जीवन बीमा निगम को अपने  
निवासी स्टेटस NRI/FNIO/OCI से निवासी भारतीय में बदलाव के बारे में बताऊँगा। ऊपर बताए गए  
मामलों के संबंध में किसी भी नुकसान की स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम इंश्योरेंस को हर्जाना देने के  
लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा।

कृपया मुझे सेवा के निर्यात के लिए आईजीएसटी संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 2(6) के अनुसार  
जीएसटी से छूट प्रदान करें।

हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

नाम ; \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_

ई-मेल: \_\_\_\_\_

मोबाइल नंबर: \_\_\_\_\_

( टिप्पणी : यदि किसी शर्तों और निबंधनों और विशेष प्रवधानों / शर्तों के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो अंग्रेजी पाठ विधिमान्य होगा। )